रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 378] नई दिल्ली, शनिवार दिसम्बर 11, 1982/अग्रहायण 20, 1904
No. 378] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 11, 1982/AGRAHAYANA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1982

सं. 288/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 754(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले और तेल और गैस के विदोहन और प्रवाह को मानिटर करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (टिटन परियोजना) द्वारा कम्प्यूटर और दूर-संचार परियोजना के अपतट या अभितट संस्थापनों को प्रदाय किए जाने वाले सभी

माल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट दती है ,

परन्तु उक्त माल की निकासी से पूर्व तल और प्राकृतिक गैस आयोग से इस प्रभाव का कि माल उसके अपतट या अभितट सस्थापना के लिए आशयित है, इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र समुचित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

2 यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगी ।

[फा सं 71/33/81-सी एक्स -2]

डी मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi the 11th December, 1982

NO 288/82 Central Excise

G.S.R. 754(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of the rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts all goods, falling under the First Schedule to the Central Excises and Salt Act 1944 (1 of 1944), for supply to off-shore or on-shore installations of Computer and Telecommunication Project for monitering exploration and flow of crude and gas by the Oil and Natural Gas Commission (Project Tifac), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act,

Provided that before clearance of the said goods a certificate from the Oil and Natural Gas Commission to the effect that the goods are intended for its off-shore or on-shore installations, duly countersigned by the Department of Electronics shall be produced to the proper officer

2 This notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st December, 1984

[F No 71/33/81 CX 2(PT)]

D MEHTA, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982